संख्या-22/2017/1085/क0नि0प्र0/26-3-2017-14(34)/2014

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 30 नवम्बर2017**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2017-18

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशालय समाज कल्याण के पत्र सं0-61/स0क0/एस.सी.पी./2017-18, दिनांक 09 नवम्बर,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रू0 12,00,00,000/- (रू0 बारह करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि का आवंटन संलग्न फांट के अनुसार संबंधित जनपदों को तत्काल किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय एस.सी.एस.पी. हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

6- निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत सत्यापनकर्ता विभागीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह कार्यदायी संस्था को नियमानुसार भुगतान करने से पूर्व लाभार्थी के विवरण के साथ उसका आधार फीडिंग अनिवार्य रूप से करा लें, ताकि बोगस अथवा पुनरावृत्ति बोरिंग की संभावना न हो।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या–83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0108-परिसम्पत्ति निर्माण की अन्य योजनाओं की लागत में केन्द्रीय सहायता से अंशदान(के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2017/1085(1)/क0नि0प्र0/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-22/2017/1085/क0नि0प्र0/26-3-2017-14(34)/2014

दिनांक 30 नवम्बर,2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	क्र.सं.	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि
1	2	3	1	2	3
1.	अलीगढ़	15.00	26.	बस्ती	47.50
2.	मथुरा	15.00	27.	सन्त कबीर नगर	25.00
3.	मैनपुरी	15.00	28.	सिद्धार्थनगर	30.00
4.	एटा	15.00	29.	गोण्डा	65.00
5.	बुलन्दशहर	10.00	30.	बलरामपुर	20.00
6.	बरेली	15.00	31.	बहराइच	65.00
7.	शाहजहांपुर	25.00	32.	श्रावस्ती	20.00
8.	पीलीभीत	25.00	33.	आजमगढ़	20.00
9.	बदायूं	20.00	34.	मऊ	15.00
10.	मुरादाबाद	45.00	35.	अमेठी	20.00
11.	जे0पी0 नगर	45.00	36.	फैजाबाद	40.00
12.	रामपुर	20.00	37.	अम्बेडकर नगर	10.00
13.	बिजनौर	45.00	38.	सुल्तानपुर	10.00
14.	इलाहाबाद	10.00	39.	बाराबंकी	30.00
15.	कानपुर नगर	20.00	40.	उन्नाव	20.00
16.	कानुपर देहात	10.00	41.	रायबरेली	25.00
17.	इटावा	10.00	42.	सीतापुर	40.00
18.	औरैया	15.00	43.	हरदोई	20.00
19.	कन्नौज	25.00	44.	लखीमपुर खीरी	40.00
20.	गाजीपुर	30.00	45.	कांशीराम नगर	10.00
21.	जौनपुर	10.00	46.	फर्रूखाबाद	10.00
22.	गोरखपुर	40.00	47.	बलिया	20.00
23.	देवरिया	25.00		कुल योग-	1200.00
24.	कुशीनगर	45.00		(रू0 बारह करोड़ मात्र)	
25.	महाराजगंज	47.50			

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।